Water Commission and their observations have been communicated to the State Government for establishing the techno-economic viability of the proposal. State Government is required to comply with the observations of the Central Water Commission.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

2265. . **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों के निर्माण के लिये निर्धारित शिखर सीमा में मैदानी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये अलग-अलग शिखर सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) मैदानी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र के अभिनिर्धारण का क्या माणदंड अपनाया जाता है ; और

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में अपनायी जाने वाली निर्माण की शिखर सीमा को मध्य प्रदेश में भूगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के मामले में भी अपनाया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न कि प्रस्तावित कोई छात्रावास पर्वतीय क्षेत्र में अथवा समतल क्षेत्र में अवस्थित है अन्य बातों के साथ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रमाणन के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

2266. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास भवन के निर्माण हेतु प्रति आवासीय छात्र की दर में निर्माण लागत की अधिकतम सीमा कितनी है ;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में इस समय छात्रावास भवनों की वास्तविक निर्माण लागत कितनी है ; और

(ग) क्या कल्याण मंत्रालय मंहगाई, परिवहन और भवन सामग्री की बढ़ती हुई कीमतों तथा मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा दूरस्थ इलाकों में निर्माण कार्य में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये छात्रावास भवनों के निर्माण के संबंध में प्रति आवासीय छात्र की दर से निर्धारित निर्माण लागत की अधिकतम सीमा को समीक्षा करके उसे वास्तविक लागत के अनुरूप नियत करेगा ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के०वी० तंगकाबालु) : (क) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लड़कों एव लड़कियों के होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रति संवासी निर्माण की सीमा दरें निम्नानुसार हैं:—

	प्रति संवासी सीमा लागत की दर (रुपये में)	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र
केवल आवास वाले छात्रावासों के लिये	14,620	17,70
आवास तथा सहायक सुविधाओं वाले छात्रावासों के लिये	20,220	24,50

(ख) जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, मध्य प्रदेश में होस्टल भवनों के निर्माण की वर्तमान लागत, प्रति सवासी 40,000 रुपये हैं ।

(ग) योजना आयोग की परामर्श से निर्माण की सीमा दरों के संशोधन का प्रस्ताव, विचाराधीन है ।

Report of the task force on adoption

2267. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the task force constituted by Government under the Chairmanship of Mr. P. N. Bhagwati to revise and reformulate the guidelines relating to all aspects of adoption has submitted its report;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, by when it is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANKA BALU): (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of the Report are given in the annexed statement (See below).

(c) Does not arise.

Statement

The salient features of the main recommendations made by the Task Force are as follows:—

(i) The original application documents for adoption of Indian child may be submitted by the foreign enlisted agencies directly to the recognised Indian placement agency with a photo-copy to CARA. The CARA has to furnish the clearance certificate within the time frame viz. five weeks from the date of the receipt of the application to the concerned placement agncy. As per existing guidelines the foreign enlisted agencies are required to forward required application and documents to CARA.

(ii) CARA may be registered under the Societies Registration Act and it shall be an autosomous body. In the exercise of its functions and powers it shall be independent of any control or interference by the Government of India save and except in regard to matters of policy where it shall be bound to act in conformity with and in implementation of such policy decision of the Government of India.

Role of the State Government/ UT Admns

The State Government shall maintain a list of children's homes and adoption agencies working in the State. They shall also form an Advisory Committee on adoption to effectively supervise the adoption work and to carry-out the Inspection of the adoption agencies.

Role of recognised Indian agencies for adoption

The placement agencies shall make all out efforts to place a child in an Indian family accordingly to a timeframe. The Voluntary Coordinating Agencies shall issue necessary clearance certificate in favour of a placement agency for pursuing intercountry adoption only if they fail to find an Indian family for the adoptive child.

Recognition of Indias Agencies

The State Government shall submit its recommendation on the application of renewal submitted by the